

## OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 26/01/15 at time 1:00 P.M. at Almora in which application claiming rights in Bartoli, Chalethi area measuring **2.705 hec.** for the **C/0 Bartoli-Banthok Motor Road (5.00 km)** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

  
26/01/15  
Deputy Commissioner cum Chairman

District Level Committee

DATE:

  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
बाटमोड़ा

**FORM-1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector: Almora**

No.....

Dated.....

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**


In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5<sup>th</sup> feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **2.705** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. for C/O Bartoli-Banthok Motor Road (5.00 km) in Almora district falls within jurisdiction of Bartoli, Chalethi Village (s) in Almora tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.705** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ..... to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.: - YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.: - YES

Encl: As above

  
विनोद कुमार सुमन  
District Collector, Almora

  
लिखा समाज कल्याण विकास  
कारबोर्ड

**FORM-II**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector: Almora**

No.....

Dated.....

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**


In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **2.705** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. for C/O Bartoli-Banthok Motor Road (5.00 km)** in Almora district falls within jurisdiction of **Bartoli, Chalethi Village (s)** in **Almora** tahsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.705** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure 9
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Bartoli, Chalethi** villages (s) is enclosed as annexure 3.
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

**Encl: As above**

विदा चमाज कल्याण वर्कशॉप  
बातमोड़ी

  
विनोद कुमार सुमन  
District Collector, Almora

## प्रपत्र—30.2

**परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में खोला मोटर मार्ग से बर्तौली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी)**

**कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा**

**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा**

उपखण्ड अल्मोड़ा परिषेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में खोला मोटर मार्ग से बर्तौली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) के निर्माण हेतु 1.35 है 0 आरक्षित भूमि व 1.3555 है 0 सिविल सोयम भूमि कुल 2.705 है 0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अल्मोड़ा) की दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक को श्रीमती रिंकू बिष्ट, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1— श्रीमती रिंकू बिष्ट, उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष
- 2— श्री अमरेश कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 3— श्री किशन सिंह जड़ौत, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छोलांगो, सदस्य / सचिव
- 4— श्री भुवन चन्द्र जोशी, बी0डी0सी0 क्षेत्र बरतोली सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में खोला मोटर मार्ग से बर्तौली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में खोला मोटर मार्ग से बर्तोली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 2.705 हेतु वन भूमि नियम 2006 लोनियोवि, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील व जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

०१/  
उप जिलाधिकारी/अक्षय  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील व जनपद अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी/अक्षय  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील व जनपद अल्मोड़ा

### प्रपत्र-30.3

**परियोजना विवरण :-** जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में खोला मोटर मार्ग से बर्तौली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।  
(प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम

तहसील-अल्मोड़ा, जिला-अल्मोड़ा

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में खोला मोटर मार्ग से बर्तौली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) के निर्माण हेतु 1.35 है। आरक्षित भूमि व 1.3555 है। सिविल सोयम भूमि कुल 2.705 है। वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(सुरेश चाहल)  
प्रधान  
ग्राम पंचायत बानठोक  
वि०ख०-धौलदेवी(अल्मोड़ा)

ग्राम सचिव  
ग्राम पंचायत बिकाड़ अधिकारी  
क्षेत्र-  
वि०ख०-धौलदेवी(अल्मोड़ा)

(मुकुमा दोषु)  
प्रधान  
ग्राम पंचायत तोली  
वि०ख०-धौलदेवी(अल्मोड़ा)

(मुकुमा दोषु)  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत बानठोक  
वि० ख०-धौलदेवी  
जिला-अल्मोड़ा

# प्रपत्र-30.4

दिनांक ..... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम              | हस्ताक्षर          |
|---------|---|--------------------|
| 1.      | अम्बादत्त, ५/० - [लिलोकमार्डी ग्राम-बरतोली अम्भोड़ा]          |                    |
| 2.      | मुकेन चन्द्र, ५/० - [नारायण दत्त ग्राम-बरतोली अम्भोड़ा]       |                    |
| 3.      | पूर्ण चन्द्र ५/० - [कुमार, ग्राम-बरतोली, अम्भोड़ा]            | पूर्ण चन्द्र       |
| 4.      | मोहन चन्द्र, ५/० - [मोहन चन्द्र, ग्राम-बरतोली, अम्भोड़ा]      |                    |
| 5.      | राम दत्त, ५/० - [श्रीकमला पाटी, ग्राम-बरतोली अम्भोड़ा]        | राम दत्त           |
| 6.      | मुकेन चन्द्र, ५/० - [उर्वी दत्त ग्राम-बरतोली अम्भोड़ा]        | मुकेन चन्द्र       |
| 7.      | वैष्णव चन्द्र ५/० - [उर्वी दत्त ग्राम-बरतोली, अम्भोड़ा]       | वैष्णव चन्द्र      |
| 8.      | श्री गंगा दत्त, ५/० - [श्री पुणीमार्डी ग्राम-बरतोली अम्भोड़ा] | श्री गंगा दत्त     |
| 9.      | तारा दत्त, ५/० - [श्री उमापाति ग्राम-बरतोली, अम्भोड़ा]        | तारा दत्त          |
| 10.     | श्री भैरव दत्त ५/० - [श्री कुमार नन्द ग्राम-बरतोली अम्भोड़ा]  | श्री भैरव दत्त ५/० |
| 11.     | चन्द्र शेखर ५/० - [नारायण दत्त ग्राम-बरतोली, अम्भोड़ा]        | चन्द्र शेखर ५/०    |
| 12.     | श्री भैरव दत्त, ५/० - [कुमार नन्द ग्राम-बरतोली, अम्भोड़ा]     | भैरव दत्त          |

ग्राम पंचायत  
बावठौक  
पो० शो०-बावठौक  
विं० ल० - धीलादेवी  
जिला-थलोड़ा

ग्राम प्रधान  
(सुरेश लाल)  
प्रधान  
ग्राम पंचायत बावठौक  
(दिंख०-धीलादेवी, ल०, विं०)

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर मे खोला मोटर मार्ग से बर्तौली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम—

ग्राम—

कास सेक्षन..... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
 काश्तकार श्री ..... पुत्र श्री .....  
 ग्राम ..... पटट्वारी वृत्त ..... जिला.....  
 ..... के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार हैं:-

| क्र०सं० | खाता / खसरा नम्बर | भूमि (हेठो) |
|---------|-------------------|-------------|
| 1       | ०००११ / ९४४       | ०.०१५       |
| 2       |                   |             |
| 3       |                   |             |
| 4       |                   |             |
| 5       |                   |             |
| 6       |                   |             |
| 7       |                   |             |

राजस्व लप्तनी रीक्षण  
 कोटा ज़िला, राजस्थान  
 अल्मोड़ा (प्रस्तावित)

## अनापत्ति प्रमाण—पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड धौलादेवी में गुरुड़ाबाज से काने तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम—

ग्राम—

कास सेवशन..... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
 काश्तकार श्री इरुपच्छ ..... पुत्र श्री श्रीकृष्ण .....  
 ग्राम ..... पटट्वारी वृत्त ..... जिला .....  
 के नाम भूमि विवरण  
 निम्नप्रकार है:—

| क्र०सं० | खाता / खसरा नम्बर | भूमि (हेटो) |
|---------|-------------------|-------------|
| 1       | ००११/ ३८९५        | ०.०३        |
| 2       |                   |             |
| 3       |                   |             |
| 4       |                   |             |
| 5       |                   |             |
| 6       |                   |             |
| 7       |                   |             |

राजस्व उपनिरीक्षण  
 दोष नापाइट  
 नाम - विवरण

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जगेश्वर मे खोला मोटर मार्ग से बर्तौली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम—

ग्राम—

कासे सेक्षण..... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
 काश्तकार श्री ..... पुत्र श्री ..... जिला.....  
 ग्राम ..... पटद्वारी वृत्ति .....  
 ..... के नाम भूमि विवरण .....  
 निम्नप्रकार है—

| क्र०सं. | खाता / खसरा नम्बर | भूमि (हेक्टर) |
|---------|-------------------|---------------|
|         | 00011 / 2120      | 01.504        |
| 3       |                   |               |
| 4       |                   |               |
| 5       |                   |               |
| 6       |                   |               |
| 7       |                   |               |

राजस्व उपनियोगिक्षण  
 अधिकारी का नाम—  
 अधिकारी का दस्तावेज—

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर मे खोला मोटर मार्ग से बर्तौली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय


नाम—

ग्राम—

कास सेक्षण..... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
 काश्तकार श्री ..... राम दत्त ..... पुत्र श्री ..... कमलापाता .....  
 ग्राम ..... पटद्वारी वृत्त ..... जिला .....  
 ..... के नाम भूमि विवरण  
 निम्नप्रकार है—

| क्र०सं. | खाता / खसरा नम्बर | भूमि (हेक्टर) |
|---------|-------------------|---------------|
|         | ५००११ / २१२५      | ०.०३३         |
| 3       |                   |               |
| 4       |                   |               |
| 5       |                   |               |
| 6       |                   |               |
| 7       |                   |               |

राजस्व उपनिशेषण

  
 राजस्व उपनिशेषण  
 अधिकारी  
 राजस्व उपनिशेषण

## अनापत्ति प्रमाण—पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर मे खोला मोटर मार्ग से बर्तौली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम—


ग्राम—

कास सेक्षण.....पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
 काश्तकार श्री ..... मुख्यमंत्री ..... पुत्र श्री ..... उत्तीर्ण .....  
 ग्राम ..... पट्टवारी वृत्त ..... जिला.....  
 .....के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार है—

| क्र०सं० | खाता / खसरा नम्बर | भूमि (हें) |
|---------|-------------------|------------|
| 1       | ५००।।।।।८९६       | ०।।।६      |
| 2       |                   |            |
| 3       |                   |            |
| 4       |                   |            |
| 5       |                   |            |
| 6       |                   |            |
| 7       |                   |            |

राजस्व उपनिरीक्षण

  
 राजस्व उपनिरीक्षण  
 दस्तावेज़ - नामांकन  
 राजस्व उपनिरीक्षण

## अनापत्ति प्रमाण—पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर मे खोला मोटर मार्ग से बर्तौली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

## नाम—

ग्राम-

कास सेवकशन..... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
 काश्तकार श्री गणेश अड्डा पुत्र श्री द्विष्टामणी  
 ग्राम ..... पटट्वारी बृत्त ..... जिला .....  
 ..... के नाम भूमि विवरण  
 निम्नपकार हैं:-

| क्र०सं० | खाता / खसरा नम्बर | भूमि (हेक्टर) |
|---------|-------------------|---------------|
| 1       | ०००१।।   १९९५     | ६।०२।।        |
| 2       |                   |               |
| 3       |                   |               |
| 4       |                   |               |
| 5       |                   |               |
| 6       |                   |               |
| 7       |                   |               |

राजस्व उपनिरीक्षण

क्षेत्र - नारायणी  
संक्षेप - नारायणी

## अनापत्ति प्रमाण—पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर मे खोला मोटर मार्ग से बर्तोली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय


नाम—

ग्राम—

कास सेक्षण.....पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
 काश्तकार श्री भृष्टानंद पुत्र श्री भृष्टानंद  
 ग्राम .....पटट्वारी वृत्त .....जिला.....  
 .....के नाम भूमि विवरण  
 निम्नप्रकार है—

| क्र०सं० | खाता/ खसरा नम्बर | भूमि (हें) |
|---------|------------------|------------|
| 1       | ०००॥ / २०५३      | ०.५०९      |
| 2       |                  |            |
| 3       |                  |            |
| 4       |                  |            |
| 5       |                  |            |
| 6       |                  |            |
| 7       |                  |            |

राजस्व उपनिरीक्षण

  
 राजस्व उपनिरीक्षण  
 भृष्टानंद  
 ग्राम - नामी  
 अल्मोड़ा (४५)

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर मे खोला मोटर मार्ग से बर्तौली बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम—


ग्राम—

कास सेक्षन.....पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
 काश्तकार श्री .....द्वारकार .....पुत्र श्री .....नारायण द्वारका .....  
 ग्राम .....पटटवारी वृत्त .....जिला.....  
 .....के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार है:-

| क्र०सं० | खाता / खसरा नम्बर | भूमि (हेठ०) |
|---------|-------------------|-------------|
| 1       | ५००॥ / ७१२        | ०।००९       |
| 2       |                   |             |
| 3       |                   |             |
| 4       |                   |             |
| 5       |                   |             |
| 6       |                   |             |
| 7       |                   |             |

राजस्व उपनिरीक्षण

  
 कांत - नारायण  
 द्वारका - ग्राम पालक